

राजनीति का व्यावसायिकरण : बजरंग मुनि

भारतीय व्यवस्था में समाज की भूमिका सर्वोच्च होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति या समूह के कार्य समाज केन्द्रित होते हैं। यदि कोई विद्वान होता है तो वह विद्वता के माध्यम से समाज को सशक्त करता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। इन ब्राह्मणों का ही अतिवादी स्वरूप धर्म गुरु अथवा सन्यासी के रूप में दिखाई देता है। जो समाज को न्याय और सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, उन्हें राजनेता कहा जाता है, ये प्राचीन समय में क्षत्रिय कहे जाते थे। इनका अतिवादी स्वरूप राजा के रूप में प्रकट होता था। जो समाज को आर्थिक दृष्टि से सहायता करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, जिन्हें आज कल व्यापारी कहते हैं। जो लोग इन तीन प्रकार की योग्यताओं से अक्षम होते थे वे स्वयं या तीनों वर्गों की सहायता करके समाज को सशक्त करते थे। इन्हें वर्तमान में श्रमिक तथा प्राचीन समय में शूद्र कहा जाता था। वैश्य के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ग यदि व्यवसाय करता अथवा सीमा से अधिक धन संग्रह करता था तो उसे अपना वर्ण बदलकर वैश्य या व्यापारी मान लिया जाता था। इस तरह चारों वर्ग अपनी अपनी सीमाओं में रहकर अपनी अपनी क्षमतानुसार समाज सशक्तिकरण का काम करते थे। जब से अंग्रेज भारत में आये तो उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार समाज को तोड़ा और समाज सशक्तिकरण में लगे चारों वर्गों का व्यवसायीकरण कर दिया जो स्वतंत्रता के बाद भी न सिर्फ जारी है बल्कि बहुत तेजी से फल फूल रहा है।

वर्तमान समय में सब प्रकार के क्षेत्र अपने अपने सामाजिक कार्य को व्यवसाय मानकर करने लगे हैं। धर्म क्षेत्र में लगे चाहे निर्मल बाबा हो या आशाराम बापू, चाहे बाबा रामदेव हो अथवा रवि शंकर महाराज, सभी अधिकतम धन संग्रह करने और धन के माध्यम से स्वयं को स्थापित करने में लगे हैं। इनके सभी कार्य चाहे वे कोई भी कार्य क्यों न हो शुद्ध रूप से व्यवसाय है या शुद्ध रूप से व्यापार है। यदि हम खिलाड़ियों की चर्चा करें तो खेल के नाम पर जो भी लोग आगे आ रहे हैं वे अपने कार्य को शुद्ध व्यापार का स्वरूप दे रहे हैं चाहे वे सचिन तेन्दुलकर हो या कोई और। न खेलों में कहीं समाज सेवा का भाव छुपा है और न देश सेवा का। सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने का ही भाव छिपा है, जिसे कभी समाज सेवा का नाम दे दिया जाता है तो कभी देश सेवा का। सामाजिक संगठन के नाम पर एनजीआ या अन्य संगठन भी इसी व्यावसायिक दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साहित्य समाचार पत्र अथवा मीडिया के अन्य साधन भी अप्रत्यक्षतः व्यवसायी हो चुके हैं। धर्म गुरुओं, खिलाड़ियों अथवा एनजीआ वालों ने तो व्यवसाय और समाज सेवा के बीच अब भो एक हल्का पर्दा बनाये रखा है। परन्तु मोडिया वालों ने तो वह पर्दा भी हटा दिया है। फिर भी यह लेख लिखने का हमारा मुख्य उद्देश्य राजनीति के व्यावसायिकरण से जुड़ा है। अतः हम राजनीति पर विशेष चर्चा करेंगे।

वैसे तो स्वतंत्रता के बाद ही राजनीति के व्यावसायिकरण की शुरुआत हो गई थी किन्तु यह आंशिक रूप से थी, ढके छुपे थी। अब तो राजनीति बिल्कुल नग्न स्वरूप में व्यवसाय के रूप में खड़ी हो गयी है। राजनीति में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो पंच, सरपंच हो अथवा विधायक। चाहे वह विधायक मंत्री हो अथवा सांसद और प्रधानमंत्री। एक दो को छोड़कर लगभग सभी राजनीति को व्यवसाय के रूप में देखने लगे हैं। कुछ लोग अब भी अपने मुख्य व्यवसाय के साथ साथ आंशिक रूप से राजनीति का व्यवसाय करते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने सारे व्यावसायिक काम छोड़कर पूरा समय इसी व्यवसाय में लगाते हैं। जिस तरह व्यवसाय करने वालों को व्यावसायिक ठेके प्राप्त होते हैं तथा जिसे ठेका कहीं नहीं मिलता वह निराश हो जाता है उसी तरह राजनीति में भी सत्ता के पद व्यावसायिक ठेके के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मीडिया में तो एक परदे का आभास भी होता है परन्तु राजनीति ने तो वह आभास भी कराना बंद कर दिया है। वैसे तो अब राजनीति से न समाज सेवा का कोई सम्बन्ध रहा है न दलीय सिद्धांतों का, किन्तु वर्तमान समय में तो जिस तरह दलीय निष्ठाएं मिनटों में बदली जा रही हैं और वह भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में और वह भो बिल्कुल सड़क पर नंगे होकर वह वास्तव में चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता टिकट न मिलने की घोषणा करते ही दूसरी दुकानों पर चले जाते हैं। उससे तो दर्शकों को भी शर्म आने लग जाती है। ऐसी नग्नता तो सिनेमा के ऐक्टर भी एडल्ट फिल्म में भी नहीं दिखाते। वहाँ भी कलाकार कामुकता को उभारते समय कुछ सीमा में रहते हैं। परन्तु राजनीति में तो अब वह सीमा भी नहीं रही। कांग्रेस की टिकट नहीं मिलते ही उसके एक नेता ने मध्य प्रदेश में जहर खाकर अपनी जान दे दी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की स्थापित नेत्री करुणा शुक्ला ने टिकट नहीं मिलते ही कांग्रेस पार्टी के साथ आँख मिलाना शुरू कर दिया। देश भर में हर पार्टी के प्रमुख लोगों ने या तो टिकट बेचे या टिकट न प्राप्त होने वालों ने उन पर टिकट बेचने के आरोप लगाये। मायावती सरीखें दलो पर तो ऐसे आरोप लगते ही हैं किन्तु अब तो कांग्रेस और भाजपा भी ऐसे आरोपों से दूर नहीं है। राज्य सभा की सीटें पूंजीपतियों को बेचने की तो लगभग परंपरा ही बन गई है। चुनावों में जीतने के लिए करोड़ों रूपया खर्च करना और जीतने के बाद अरबों रूपया कमाने की व्यवस्था करना ही वर्तमान राजनीति का एक मात्र कार्य रह गया है। मनमोहन सिंह सरीखे जो लोग ऐसे व्यवसाय में फिट नहीं रहे हैं उनकी दुर्गति भी दिख रही है। संघ परिवार ने बहुत समय तक चरित्र की राजनीति की उसे भी हार थक कर अब नरेन्द्र मोदी सरीखे अति चालाक राजनेता की शरण में जाना पड़ा है। लगता है कि अब राजनीति भी पूरी तरह खिलाड़ियों, कलाकारों पाखंडी धर्म गुरुओं से भिन्न कोई अलग आदर्श की सम्भावना में नहीं रही है।

प्रश्न उठता है कि जब विद्वान लेखक, कलाकार, राजनेता धर्म गुरु सरीखे समाज सशक्तिकरण के स्तम्भ ही समाज कमजोरीकरण में लग जायेंगे तो समाज का क्या होगा यह चिंता का विषय है। ये लोग न सिर्फ समाज को कमजोर कर रहे हैं बल्कि राजनेता तथा धर्म गुरु तो समाज को धाखा भी दे रहे हैं। फिर भी यदि हम साहित्यकारों, धर्मगुरुओं, खिलाड़ियों, कलाकारों, मीडिया कर्मियों की राजनेताओं से तुलना करें तो राजनेताओं को छोड़ कर अन्य सब लोग भले ही समाज को धोखा दे रहे हों किन्तु वे समाज को किसी तरह से मजबूर नहीं कर रहे हैं। आम लोग भले ही इनके प्रभाव में आकर इनसे चिपक जावे या ठगे जायें लेकिन इनका कोई कार्य समाज पर बंधनकारी नहीं है। जबकि राजनेताओं के आदेश समाज पर बंधनकारी होते हैं। वे जब चाहें जितना चाहें टैक्स लगा सकते हैं। चिंता का विषय है कि समाज सशक्तिकरण का कार्य कहाँ से शुरू हागा? कैसे शुरू होगा? कौन शुरू करेगा? अभी तो राजनेताओं का चरित्र देख देख कर गहरा अँधेरा ही दिखता है। शायद दीपावली के अवसर पर कोई ऐसा दीप जले जो उड़ीसा में आये भयानक तूफान से भी टकराकर अपने अस्तित्व को बचा सके।

सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन ही है समाधान!

रमेश चौबे, सचिव लोक स्वराज्य मंच

भारत में आजादी के बाद जितनी भी सरकारें अब तक बनी हैं, वे सभी अब तक लोकतंत्र को स्थापित करने में फेल ही रही हैं। एक तरफ आम आदमी को अवसर, न्याय और सुरक्षा देने में ये अब तक नाकाम ही रही हैं और दूसरी तरफ वह देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने का माध्यम बनती जा रही हैं। आज आजादी के नाम पर जो दिखता है उसमें आज भी हमें गहरी गुलामी दिखती है। सत्ता में बैठे लोगों ने षडयंत्र पूर्ण तरीके से आम आदमी को गुलाम रखने के उद्देश्य से लोकतंत्र को लोक नियंत्रित तंत्र के बदले लोक नियुक्त तंत्र की परिधि तक ही सीमित कर दिया है। आज सरकार का मतलब शासन हो गया है और शासन मनुष्य को सहज स्वीकार्य नहीं है, व्यवस्था स्वीकार्य है। शासन में जो काम हो रहा है वह लोगों की जरूरतों को समझे बगैर हो रहा है। आज सरकार कुछ अच्छे लोगों की भी बन जाएगी तो भी सफल नहीं होगी कारण कि 67 वर्षों में अब तक कई प्रयोग देश में हो चुके हैं। भारत की जनता अब तक कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सरकारों को आजमाकर देख चुकी है। इन सबके पीछे विफलता का मुख्य कारण ये भी है क्योंकि अब तक इसमें व्यक्ति, परिवार, गांव और समाज की आवश्यकता कोई दूसरा पहचानता है, योजना दूसरा ही बनाता है और उसे दूसरा ही क्रियान्वित करता है। जबकि यह एक अव्यावहारिक एवं अप्राकृतिक बात है।

भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जब लोगों का लगा है कि शासन, राजतंत्र उन्हें कमजोर कर रहे हैं। इतिहास में कई तरह के प्रयोग हुए हैं। आज हमें उन्हें समझने की आवश्यकता दिखती है। आज जो परिवर्तन वाले लोग हमें दिख रहे हैं, वो चाहे वाम धाराओं के थे, या फिर समाजवादी धाराओं के थे, या और धारा के थे, वे आज थक गए, उनका जोश ढीला दिखता है। यह भी देखा गया है कि जो लोग व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आंदोलन कर रहे थे वे आज कहीं न कहीं सत्ता सुख में भागीदार बन गए हैं। अब तक जो व्यवस्था परिवर्तन अभियान में लगने वाले हैं मेरी दृष्टि में वे सत्ता परिवर्तन से आगे जाते नहीं दिखते। अब तक का अनुभव रहा है कि उनकी परिणति एक दल की जगह दूसरे दल की सरकार बनाने बनवाने में ही है। आज की जो समस्याएँ हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, गरीबी, अशिक्षा, चरित्र पतन आदि ये लक्षण हैं समस्याएँ गहरी हैं। गहरी समस्याओं के जो रूप दिखते हैं वो दो सभ्यताओं के कमजोर पक्ष के रूप में भारत में एक साथ हावी हैं पूरब और पश्चिम की सभ्यताओं के जो नकारात्मक पक्ष थे वे आज अपने देश में हावी हैं। और दुनियाँ में भी हावी हैं। पश्चिमी सभ्यता में भी कुछ अच्छी चीजें थीं वे दबी हुई हैं और इस समय वहाँ भी कब्जेवाजी का ही प्रयास है। अमेरिका और युरोप में जो सुविधाएँ लोगों को देने की कोशिश की गई वह अपने आप में असफल सिद्ध हो चुकी हैं। दुनियाँ को गुलाम या उपनिवेश बना कर या समानता के आधार पर फंसा कर आधुनिकता चल रही है। उधर जो भारतीय पक्ष है वह राष्ट्रीयता और सामाजिकता के भावनात्मक पक्षों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। धर्म और अध्यात्म भी इसमें शामिल हैं। आदमी और आदमी के रिश्ते का यहाँ स्वीकार नहीं किया जा रहा। जैसे हमने छुआछूत को कानून के रूप में तो दूर कर लिया लेकिन आदमी आदमी के बीच अभी दूरियाँ हैं उसे अब तक खत्म नहीं किया जा सकता। यह कलंक मुझे भारतीय पक्ष में ज्यादा ही दिखता है। मुझे लगता है कि सामाजिक समता समरसता के मामले में हम कहीं उचें रहे होंगे। लेकिन इस समय तो हम कहीं असफल हो चुके हैं। हम इसे गहराई में कहीं अपनी संस्कृति में समाज एक बड़े वर्ग को हिस्सेदार नहीं बना सका। किसान कारीगर मजदूर मुझे संस्कृति में बहिष्कृत लोग नजर आते हैं। कुछ अच्छी बातें भी रही लेकिन सामाजिक ढंग से विश्लेषण करते हैं तो पूरब और पश्चिम दोनों ही सभ्यताओं के नकारात्मक पक्ष यानि उनकी कमजोरियाँ इस समय देश दुनियाँ में हावी हैं। दोनों ही के अच्छे पक्ष भी थे लेकिन उन्हें नजर अंदाज कर दिया।

हम देख रहे हैं आज जिस तरह दुनियाँ में दूरियाँ घट रही हैं उस रूप में पश्चिम वाले अपनी सभ्यता के प्रति अहंकार का भाव रखे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपने को श्रेष्ठ बताये। इस संघर्ष की जगह एक ऐसी सभ्यता की जरूरत दिखती है जो मानवीय हो हर धर्म मजहब को स्वीकार हो। इस पर यदि हम काम नहीं कर पायेंगे तो छोटे छोटे राहत कार्यक्रम तक ही हम सीमित रह जायेंगे। एक बात स्पष्ट है कि वर्तमान व्यवस्था में श्रम का अपमान हुआ सम्मान नहीं हुआ। जितनी भी तकनीकी हमारे यहाँ विकसित हुई उसमें हाथों या पशुओं से चलने वाले यंत्रों पर कोई मौलिक काम अच्छे दिमाग से या किसी अच्छे संस्थान द्वारा नहीं हुआ। इन लोगों ने जो काम किया वो सारा उस दिशा में किया जो पेट्रोल पर आधारित है। गैस बिजली कोयले आदि पर आधारित है प्राकृतिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं गया और समाज का जो बड़ा तबका जो उस तकनीक से अपनी आजीविका आज चलाता था आज वह मजदूर बनकर शहर में जाने को मजबूर है।

आज जब हम यह कहते हैं कि इस सरकार को पश्चिम की सरकार चला रही है। किसके हाथ में ताकत है? कहां से क्रान्ति आ रही है। कौन प्रेरणा दे रहा है? जिस व्यवस्था का संकट है समाधान वही से आयेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इस संविधान के तहत समाधान तलाशे जाये। संविधान में जब सही व्यक्ति की पहचान नहीं तो संविधान को कैसे ढोएंगे। देश के सम्मान के लिये हम उसका विरोध नहीं करेंगे। परन्तु देश दोषपूर्ण संविधान को दूरस्त तो अवश्य करेंगे एवं देश हित में हमें करना भी होगा। एक राष्ट्रीयता की भावना के साथ हम उस संविधान को स्वीकार तो करते हैं लेकिन देश काल व परिस्थिति अनुसार इसकी पूर्ण समीक्षा की आवश्यकता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय संविधान की पूर्ण समीक्षा होनी ही चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे देश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अभी हमारा ध्यान सत्ता परिवर्तन को ओर ही ज्यादा है। किसी का 2014 के चुनाव पर ध्यान है। तो किसी का उससे अगले चुनाव पर ध्यान है। देश की वर्तमान परिस्थितियाँ को देखते हुए व्यवस्था परिवर्तन के सम्बंध में मेरा स्पष्ट मानना है कि वर्तमान काल की मांग है कि राजनीति पर समाज हावी हो। मेरा यह भी मानना है कि इसके लिये भारत एक राजनीतिक दर्शन हेतु तैयार है। लोक स्वराज्य मंच इस दिशा में लगा हुआ है। इसका स्थापित करने की तैयारी में हम जुटे हुए हैं।

कार्यलयीन प्रश्नों के उत्तर

1 प्रश्न संग्रह कर्ता

1 श्री रमेश चौबे, पटना बिहार

2 श्री राजीव सिंह, वाराणसी उ.प्र.

3 श्री पुष्पेन्द्र रावत , दुर्ग छत्तीसगढ़

प्रश्न1 ज्ञान तत्व अंक 277 के संदर्भ में प्रश्न

क्या देश में समान सम्पत्ति कानून की आवश्यकता नहीं है? फिर संयुक्त हिन्दू प्रोपर्टी कानून मुस्लिमों में अलग राज्यों में अलग अलग आदिवासी समाज में अलग अलग । क्या समरूप सम्पत्ति कानून की संवैधानिक अनिवार्यता भारत में भी आवश्यक नहीं होनी चाहिये? आपके अनुसार सम्पत्ति उत्तराधिकार या हस्तांतरण कानून क्या होना चाहिये? "पावर आफ प्रोपर्टी" का संवैधानिक प्रारूप क्या होना चाहिये ताकि बढ़ते हुए सम्पत्ति विवाद को हमेशा के लिये खत्म किया जा सके और संवैधानिक रूप से भी बाध्यकारी बनाया जा सके?

उत्तर:— भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के अनुसार अर्जित सम्पत्ति रखने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि सम्पत्ति रखना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। राज्य न उसके सम्पत्ति संग्रह में कोई बाधा पैदा कर सकता है न उसकी कोई सीमा बना सकता है। हर निकम्मा चाहता है कि अधिकतम सम्पत्ति की सीमा बनाकर वह धन निकम्मे गरीबों में बाँट दिया जाए। यह नारा बहुत आकर्षक भी होता है तथा न्याय संगत भी है, इसलिये हर राजनेता विपक्ष में होने पर इस नारे का उपयोग करता है और सत्ता में होने पर इसके लिये कुछ नहीं कर पाता क्योंकि न्याय संगत तथा जन आकर्षक होते हुए भी ऐसा करना व्यवस्था के लिए बहुत घातक होता है। ऐसे प्रयोग दुनिया में जहाँ जहाँ भी हुए वहाँ उसके घातक परिणाम सर्वविदित ही है। फिर भी राज्य का कर्तव्य है, दायित्व नहीं, कि न्यूनतम और अधिकतम के बीच की दूरी असीमित ना हा जावे ऐसी अप्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था के पारूप को लागू करे। वर्तमान समय में यह दूरी असीमित दिख रही है। एक ओर बीस करोड़ व्यक्ति अठाइस रुपये से भी कम पर जीवन जीने के लिये मजबूर हैं तो दूसरी ओर कुछ मुठठी भर लोग करोड़ों रूपया प्रतिदिन तक कमा रहें हैं। श्रम, बुद्धि और धन की कमाने की क्षमता में श्रम लगातार पिछड़ रहा है। श्रम खरीदने वाला ऐसे तर्क गढ़ रहा है जिससे श्रम बेचने वाले की मजबूरी लगातार बनी रहे। मध्यम वर्ग उच्च वर्ग के साथ मिलकर निम्न वर्ग को मजबूर बनाये रखने की योजनाएँ बनाते रहता है। यह भले ही कोई अपराध न हा किन्तु अनैतिक भी है और अन्यायपूर्ण भी। अतः राज्य को इस पर विचार करना चाहिए।

आम तौर पर सम्पत्ति विवाद परिवारों से ही शुरू होते हैं। ये सम्पत्ति विवाद डॉ. अम्बेडकर की देन हैं। उन्होंने ही प्रत्येक नागरिक को समान नागरिक अधिकार न देकर उन्हें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, आदिवासी, हरिजन, महिला, पुरुष, युवा, वृद्ध आदि अनगिनत टुकड़ों में बाँट दिया। वे तो आगे लगाकर चले गए, किन्तु उस आगे के परिणाम स्वरूप आज भी एक दो प्रतिशत राजनेता उस आगे में अपनी रोंटियाँ पका रहें हैं, और शेष अधिसंख्य आबादी उसमें झुलस रही है। यह डॉ. अम्बेडकर की ही देन है कि उन्होंने परिवार में रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने की छूट दे दी। सारे पारिवारिक मुकदमों की जड़ यही छूट है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिवार में रहने की छूट है। यदि उसे अपना परिवार पसंद नहीं है तो वह पृथक परिवार भी बना सकता है, किन्तु प्रत्येक परिवार में उसे पृथक सम्पत्ति की छूट नहीं होगी, बल्कि पूरे परिवार की सम्पत्ति सामूहिक होगी, जिसमें प्रत्येक सदस्य का समान हिस्सा होगा। महिला को गुजारा भत्ता तो पैतृक परिवार की सम्पत्ति और स्वयं अर्जित सम्पत्ति जैसे अलग अलग कानून बनाकर परिवार तोड़क, समाज तोड़क, कानूनों को समाप्त करने की आवश्यकता है न कि परिवार में ऐसे जटिल कानून बनाये जाने की। मेरे विचार से अब ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिसमें परिवार को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जिसके प्रत्येक सदस्य को परिवार की सम्पत्ति में समान हिस्सेदारी हो।

प्रश्न—2 आपके कथनानुसार परिवार में सम्मिलित होने के बाद महिला तथा पुरुष का अलग से कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता । तब तक नहीं होता जब तक वह उस परिवार का सदस्य है। आप महिला और पुरुष को एक इकाई के रूप में गणना करते हैं। जबकि प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वतंत्र अस्तित्व व अधिकार होते हैं। वैचारिक भिन्नता प्रकृति प्रदत्त मानवीय स्वभाव है। ऐसे में जब दो व्यक्ति महिला एवं पुरुष वैचारिक रूप से व भौतिक रूप से अपने अपने अस्तित्व और स्वतंत्र पहचान के लिये संवैधानिक दृष्टि और प्राकृतिक रूप से दो ध्रुवीय हैं। ऐसी हालत में इसे एक इकाई समझना कहां तक न्यायोचित है। पुरुष और महिला को एक इकाई के रूप में गणना कैसे तर्क संगत हो सकता है।

उत्तर समान नागरिक संहिता का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति के अपने स्वतंत्र अधिकार नहीं होंगे। व्यक्ति और नागरिक एक न होकर बिल्कुल अलग होते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार अलग होते हैं तथा नागरिक अधिकार अलग। किसी परिवार का सदस्य होने के बाद भी

उसके मौलिक अधिकार व्यक्तिगत होंगे जिन्हें न राष्ट्र छीन सकता है न समाज न परिवार। किन्तु परिवार एक संगठन है तथा संगठन में शामिल होना न होना व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है किन्तु संगठन में शामिल होने के बाद मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य मामलों में उसके अधिकार सामूहिक हो जाते हैं अर्थात् वह व्यक्ति भी होता है और नागरिक भी। व्यक्ति के रूप में उसके अधिकार प्रकृति प्रदत्त होते हैं आर नागरिक के रूप में संविधान प्रदत्त। चाहे कोई महिला हो या पुरुष, परिवार में रहते हुए उसका पृथक अस्तित्व कैसे तो संभव है और क्यों होना चाहिए? यदि कोई महिला या पुरुष परिवार की सहमति के बिना अपना पृथक अस्तित्व बनाने का प्रयास करते हैं तो यह परिवार के साथ चोरी है। या तो ऐसे सदस्य को ऐसी चोरी करने के पूर्व ही परिवार छोड़ देना चाहिए अन्यथा परिवार ऐसे चोर सदस्य को कभी भी परिवार से अलग कर सकता है। स्वतंत्र अधिकार का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है बल्कि व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की अपनी अलग सीमा रेखा है तो पारिवारिक अधिकारों की अलग। न व्यक्ति अपनी सीमा रेखा से बाहर जाकर किसी अन्य की सीमा रेखा में दखल दे सकता है न ही परिवार व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमा रेखा में घुस सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं को मूल अधिकारों की ठीक से समझ नहीं थी तथा उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र की नकल करके ऐसी ऐसी भयानक भूलें कर दीं। अब हमें चाहिए कि हम नये सिरे से चर्चा करके ऐसी भूलों को सुधारने का प्रयास करें।

प्रश्न— 3 आप वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों पर पैनी नजर रखते हुए उसका मूल्यांकन एवं समीक्षा करते हैं। देश में दो ध्रुवीय राजनीति चल रही है। बल्कि दो व्यक्तित्व आधारित राजनीति का ध्रुवीकरण कर दिया गया है। आसन्न लोक सभा चुनाव 2014 में नरेन्द्र मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई होने वाली दिख रही है। आप व्यवस्था परिवर्तन व लोक तंत्रीय मूल्य की वास्तविक स्थापित लोक स्वराज्य के पैरोकार व ऐसे अभियानों के प्रबल मुखर बहुचर्चित समर्थक रहे हैं। कृपया सम्पूर्णता के परिपेक्ष्य में कोई निर्णायक निष्कर्ष के जरिये अपनी स्पष्ट राय दे कि वर्तमान परिस्थिति में देश को नरेन्द्र मोदी या राहुल गांधी में से किसकी आवश्यकता है और क्या एक स्थापित चिन्तक विश्लेषक की स्पष्ट राय देशहित में आवश्यक है?

उत्तर—ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि दो हजार चौदह के चुनाव नरेन्द्र मोदी तथा राहुल गांधी के बीच होने जा रहे हैं। नरेन्द्र मोदी इसे लगातार द्विपक्षीय बताने की और बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी ऐसा दिखने भी लगा है जो न तो राजनैतिक रूप से आवश्यक है न कानूनी रूप से। कानूनी रूप से स्पष्ट है कि संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। दो हजार चार में सीधा मुकाबला अटल जी और सोनिया जी के बीच था। फिर बीच में एकाएक मनमोहन सिंह कहां से आ गये। आप राजनीति क गिरते चरित्र को अच्छी तरह जानते हैं। यदि प्रशासनिक क्षमता तथा कार्यकुशलता को मापदण्ड माना गया तो नरेन्द्र मोदी सबसे आगे दिख रहे हैं किन्तु यदि लोकतंत्र चरित्र और धर्मनिरपेक्षता मापदण्ड बना तो नरेन्द्र मोदी सबसे पिछले पायदान पर खड़े हैं। चुनाव अनेक जातीय धार्मिक स्थानीय क्षेत्रीय तथा उन सबके उपर भी चुनाव के बाद होने वाले सौदेबाजी पर निर्भर करते हैं। आप प्रधानमंत्री की संभावना से राहुल गांधी को खारिज कर सकते हैं किन्तु नीतिश कुमार मायावती मुलायम सिंह जैसे घाघ लोगो की संभावनाओं को खारिज नहीं कर सकते। जहां तक अकन्द्रियकरण विकेन्द्रीकरण, लोकस्वराज्य आदि का प्रश्न है तो नरेन्द्र मोदी से तो ऐसी उम्मीद करना ही व्यर्थ है, कॉंग्रेस का भी पिछले साठ वर्षों का इस संबंध में कोई अच्छा रेकार्ड नहीं रहा है, नीतिश कुमार या अरविन्द केजरीवाल से कुछ उम्मीद है जिनका बनना अभी हवा में ही है।

देखिये ओर प्रतीक्षा करिये। देश की राजनैतिक क्षमता ऐसी बांझ हुई नहीं दिखती है कि वह संघ को इतनी जल्दी स्वीकार कर लेंगी। देखिये और प्रतीक्षा करिये। मैं तो राहुल गांधी को इस दौड़ से अलग देखकर संभावनाओं का आकलन कर रहा हूँ। जिसमें नरेन्द्र मोदी अकेले ही मैदान में खड़े होकर गोल पर गोल मारते जा रहे हैं। समय आने दीजिये तब बहुत कुछ स्पष्ट हो जायेगा।

प्रश्न 4— विभिन्न अवसरों पर संघ परिवार के बारे में आपके द्वारा दिया गया बयान कभी कभी विरोधाभासी लगता है। एक तरफ आप संघ की बुराइयों पर तीखा प्रहार करते हैं और दुसरी तरफ संघ के कारण भाजपा शासित प्रदेशों को कांग्रेस शासित प्रदेशों से बेहतर भी साबित करते हैं। आपका मनमोहन सिंह चिदम्बरम और राहुल गांधी प्रेम भी सर्वविदित है। आपका यह भी स्पष्ट मानना है कि भाजपा शासित प्रदेशों में स्वराज्य अथवा लोक स्वराज्य अथवा विकेन्द्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या यह संदेश नहीं जाता कि अथोकेट संघ के द्वारा संचालित पार्टी भाजपा शासित राज्य ही बेहतर प्रशासन दे सकते हैं और विकास भी कर सकते हैं फिर भाजपा पर संघ के हस्तक्षेप की आप खुलेआम आलोचना क्यों करते हैं?

उत्तर— प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण भी होते हैं और कुछ अवगुण भी। किसी एक विषय पर चर्चा करते समय जिस व्यक्ति की प्रशंसा होती है उसी व्यक्ति की किसी अन्य विषय पर आलोचना भी संभव है। सर्वांगीण प्रशंसा या सर्वांगीण आलोचना बिरले लोगो की ही होती है। नरेन्द्र मोदी ने जिस कुशलता से गुजरात में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का फन कुचला अथवा सोहराबुद्दीन सरीखे अपराधियों से मुक्ति पाई उसके लिए वे हमेशा प्रशंसा के पात्र हैं किन्तु उन्ही नरेन्द्र मोदी की हरेन पंडया हत्याकांड में ऑशिक भागीदारी भी पाई गई तो मोदी पूरे तरह घृणा के पात्र बन जावेंगे अथवा एक लडकी की अनधिकृत जासूसी के जो राज खुल रहे हैं या खुल सकते हैं वे तो नरेन्द्र मोदी सहित संघ को भी डुबाने के लिये पर्याप्त हैं। किसी व्यक्ति की समीक्षा करते समय घटना कम महत्वपूर्ण होता है। मैं मनमोहनसिंह, राहुल गाँधी का सर्वांगीण प्रशंसक हूँ। दूसरी ओर वही मैं उसी कॉंग्रेस पार्टी के अजोत जोगी का सर्वांगीण आलोचक हूँ। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, बिहार के मुख्यमंत्रियों का मैं प्रशंसक हूँ। इसी तरह दल के

रूप में मैं अनेक मामलों में संघ का प्रशंसक हूँ और आलोचक भी इमानदारी त्याग के मामलों संघ का रेकार्ड सबसे अच्छा है। कार्य कशलता भी संघ में पर्याप्त है। दूसरी ओर हिटलरी सोच के मामलों में संघ हिन्दुओं का तालिबान ही है। संघ किसी भी तरह सर्वांगीण प्रशंसा का पात्र नहीं है। दूसरी ओर संघ किसी भी रूप में सर्वांगीण आलोचना का भी पात्र नहीं है। संघ ने भाजपा पर नियंत्रण अवश्य कर लिया है किन्तु यह नियंत्रण अंतिम नहीं है। आडवानी संघ से मात खा गये क्योंकि आडवानी जी में पद लिप्सा भरी हुई थी। कोई निस्वार्थ व्यक्ति सामने होगा तब स्थिति बदल भी सकती है। अन्यथा मोदी जी बहुत शक्तिशाली हो गये तो वे सबसे पहले संघ परिवार से ही निपटेंगे। कोई तानाशाह किसी अन्य को अपने उपर नहीं देख सकता। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ किन्तु मुझे अब तक ऐसा ही दिख रहा है।

2/1 वैद्यराज आहूजा भानुप्रतापपुर जिला—कोंकर छत्तीसगढ़

विचार: ज्ञानतत्व 278 को पढा। दुबारा भी पढा। पिछले अनेक अंकों की अपेक्षा इस अंक में मौलिकता अधिक है। वास्तव में यदि ऐसा हो जाए तो नक्सलवाद का अपने आप समाधान हो जाएगा। इतने अच्छे और गंभीर विचार आप नेताओं विशेषकर वामपंथी नेताओं को अवश्य भेजिए, जिससे उनकी सोच में कुछ बदलाव आ सके।

प्रश्न 2/2 श्री महेन्द्र नेह, कोटा राजस्थान

विचार — ज्ञान तत्व निरंतर प्राप्त हो रहा है। आप देश की समस्याओं के बारे में खूब चिंतन करते हैं, और उन्हें हल करने की युक्ति भी ढूँढते हैं। समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। यह अपने आप में लीक से हटकर प्रयत्न है। आप अपनी बात सार्वजनिक भी करते हैं। मैंने अभी अभी आपके 278वें अंक को पढा है। आपने श्रम समस्या और अर्थ तंत्र के बारे में काफी हद तक मौलिक व व्यावहारिक सुझाव सामने रखे हैं। खास तौर पर श्रम उर्जा एवं कृत्रिम उर्जा के बारे में। सवाल यह है कि अपनी अवधारणा को आप किस तरह सम्पूर्ण रूप से लागू करवा पायेंगे? क्या आप तंत्र को बदल पायेंगे या फिर समाज को अपनी सोच के आर्थिक सूत्र में ढाल पायेंगे? आप किस तरह कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढ़ा पायेंगे? जिससे श्रम उर्जा का सम्मान हो सके। कब मरेगी सास और कब आयेंगे आसू?

और कुछ हो या न हो आपके इस सुझाव से देश के पूंजीपति अवश्य सहमत हो जायेंगे कि न्यूनतम वेतन को बढ़ाने के बजाय मशीनों को अधिक महंगा किया जाये। पूंजीपतियों का एक मात्र उद्देश्य यह है कि उसे बाजार में सस्ते से सस्ता श्रम उपलब्ध हो तथा उसकी मिला में उत्पादित मशीनें अधिक से अधिक महंगे भावों में बिकें। अपनी व्याख्या में आपको इस बात की बड़ी फिक्र रहती है कि किसी भी तर्क द्वारा मार्क्स को असफल सिद्ध किया जाये और गांधी को विकल्प के रूप में पेश किया जाये। आपने श्रम उर्जा और कृत्रिम उर्जा के तुलनात्मक अध्ययन में भी मार्क्स की श्रम नीति को असफल सिद्ध कर दिया। गांधी जो की श्रम नीति को वर्धा में पावर लूथ लगा कर पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों ने असफल कर दिया।

मैं समझना चाहता हूँ कि क्या आप सभी बुद्धिजीवियों को एक जैसा ही मानते हैं? जिनका काम स्वयं के लिये सुविधाएँ जुटाना है, और वे पूंजीपतियों के साथ मिलकर श्रमिकों के शोषण में शामिल ह। लगता है श्रमजीवी बुद्धिजीवियों को आप देखना नहीं चाहते और केवल पूंजीपतियों के चाकर बुद्धिजीवियों को ही रेखांकित करना चाहते हैं।

मुझे लगता है कि आप समझते हैं कि वर्तमान अर्थ तंत्र जो पूंजीवादी साम्राज्यवादी अर्थतंत्र है इसका समाधान कुछ सुधार लागू करके या नियमों में परिवर्तन करके संभव है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अपने नियम और प्रवृत्तियाँ होती हैं। वैदिक समाज में सामूहिक श्रम से उत्पन्न वस्तुओं / उत्पादन को आपस में बराबर बाटने का नियम था। दास प्रथा में प्रभुवर्ग ने समस्त उत्पादन व श्रम शक्ति का एक मात्र ध्रुव एक मात्र स्वामी स्वयं को बना लिया और दासों को पूरी तरह अधिकार विहीन कर दिया। सामंती समाज में श्रमिक किसान को एक हिस्सा देना स्वीकार किया गया लेकिन टैक्सो व लगानों के जरिये उकी चमड़ी उतार लेने में कोई कमी नहीं रखी गई। हमारे देश समाज में तो श्रम का कृत्रिम विभाजन करके वर्ण व्यवस्था को नैतिक व धार्मिक नियम के रूप में ही लागू कर दिया गया। पूंजीवादी व्यवस्था ने अपने प्रारंभिक दौर में श्रम को आजाद करने का काम किया ताकि अपने कारखाने की श्रम पूर्ति हा सके। लेकिन वर्तमान दौर में उसने मरणशील सामन्तवाद से समझौता करके जाति धर्म सम्प्रदायवाद श्रेत्रियतावाद को बढ़ावा देकर श्रमजीवी समुदाय के संघर्ष को ही कुन्द कर दिया। न श्रमिक अपने अधिकारों के लिये लाभवन्द होंगे और न ही व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई तेज हो सकेंगी।

आप पूंजीवादी अर्थतंत्र समाजवादी अर्थ तंत्र को एक ही पलड़े में तौलते हैं जबकि दोनों हक दूसर से पूरी तरह भिन्न हैं पूंजीवादी तंत्र शोषण का तंत्र है। जबकि समाजवाद का उद्देश्य शोषण विहीन समाज की ओर बढ़ता है। जब शोषण विहीन समाज बनेगा तो उसमें पैसे की जगह मनुष्य का सम्मान सर्वोपरि होगा। श्रम के लिये सर्वाधिक स्वस्थ एवं अकृत्रिम वातावरण सृजित किया जायेगा। इसका लाभ केवल श्रमिकों के नहीं पूरी समाज व्यवस्था को मिलेगा। समाज से सभी ऋणात्मक स्थितियों विस्थापित करके धनात्मक व सृजनात्मक स्थितियों निर्मित की जायेगी। जिस तरह राजे महाराजों का वर्चस्व क्षीण हुआ। समाजवादी समाज में एक स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा लूटखोर ताकतो व तंत्र को निर्मूल व निस्तेज कर दिया जायेगा। यह काम केवल बल पूर्वक नहीं अपितु सांस्कृतिक व मानवोचित ढंग से भी किया जायेगा। कभी इस दिशा में भी सोच, विचार व अमल की ओर बढ़े।

उत्तर: — समाज में न सभी बुद्धिजीवी जानबूझकर श्रम शोषण की योजनाएँ बनाते हैं न सभी पूंजीपति। स्वतंत्रता के तत्काल बाद राजनेताओं ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सस्ती उर्जा की शुरुवात की। हो सकता है कि उनसे भूल ही हुई हो किन्तु इस योजना में श्रम खरीदने वालों को मजा आने लगा। वामपंथियों ने श्रम बेचने वालों का प्रतिनिधि बनकर श्रम बेचनेवालों को श्रम खरीदने वालों के विरुद्ध भड़काना शुरू किया जिससे वर्ग संघर्ष की स्थिति बने। वर्ग संघर्ष के लिए आवश्यक है कि कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति प्राकृतिक रूप से कभी न सुधरे तथा उसे संघर्ष के माध्यम से थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता रहे। आवश्यक था कि इस उद्देश्य के लिए कृत्रिम उर्जा को मंहगा न होने दिया जाए। श्रम खरीदने वाले बुद्धिजीवी पूंजीपति तथा सरकार कृत्रिम उर्जा के सस्ता रहने से प्रसन्न थी तो दूसरी ओर श्रम बेचने वालों को वामपंथियों ने समझा दिया था कि कृत्रिम उर्जा को सस्ता होना चाहिए। विश्व परिदृश्य बदला तो भारत के वामपंथियों को रूस चीन से मिलने वाली आर्थिक सहायता कम हा गई। इन्हें राजनैतिक आर्थिक सहायता के लिए खाडी के देशों की ओर देखना आवश्यक हो गया। बदले में इन्हें खाडी देशों से भारत आने वाले डीजल, पेट्रोल की खपत न घटने की वकालत करनी पड़ी। वामपंथियों ने पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया। इन्होंने भारत में हर बिजली परियोजना में रोडे अटकाए इन्होंने डीजल, पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का भरपूर विरोध किया। वामपंथियों की इस विरोध पहल का भाजपा सहित सभी दक्षिण पंथी ताकतों ने समर्थन किया, क्योंकि दक्षिणपंथी तो स्वाभाविक रूप से श्रम खरीदने वालों के पक्षधर माने जाते हैं। फिर भी यदि यह बात बुद्धिजीवियों को समझाई जावे तो उनमें से अनेक बुद्धिजीवी समझेंगे। यदि दस प्रतिशत बुद्धिजीवी भी मुखर हो गये तो यह काम कठिन नहीं रहेगा। वर्तमान समय में तंत्र तो इसलिए इस बात से डर रहा है कि कहीं लोक नाराज न हो जावे। किन्तु लोक ऐसी माँग उठाना 'शुरू कर देगा तो यह कार्य आसान हो जाएगा। आप निश्चित रहें।

मैंने मशीनों को मंहगा करने की बात नहीं की है। मैं तो सब प्रकार की मशीनों पर से टैक्स हटाकर उन्हें सस्ता करना चाहता हूँ। यदि मशीनें मंहगी और उसमें खपत होने वाले डीजल, पेट्रोल बिजली, कोयला सस्तें होंगे तो इसका विपरीत प्रभाव होगा। मेरा मत है कि मशीनें चाहे सस्ती हों या मंहगी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु डीजल पेट्रोल मंहगा होगा तो उसका निश्चित प्रभाव होगा।

आपने मुझ पर येन केन प्रकारेण मार्क्स को असफल सिद्ध करके गॉंधी का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। यही आरोप मैं आप पर पलट दूँ कि आप येन केन प्रकारेण मार्क्स को सफल आर गॉंधी का विरोध करने का बीडा उठाएँ हैं तो न आपका आरोप स्थापित हो पाएगा न मेरा। सच्चाई यह है कि आरोप को प्रमाणित करने के लिए तर्क चाहिए। यह बात सच है कि मैंने मार्क्स को असफल और गॉंधी को सफल माना है और इस पर एक किताब आपको भेजी है। आप उस किताब के तर्कों की समीक्षा करके उसकी कुछ बातों को गलत प्रमाणित करने के तर्क दें तब तो आपका मार्क्स पर विचार मंथन में कुछ टिक सकता है। अन्यथा आपका कथन आपकी खीझ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आशा है कि आप ज्ञानतत्व का वह अंक दुबारा पढ़कर उसकी मार्क्स प्रेमी समीक्षा भेजने का कष्ट करेंगे।

यदि साम्यवाद ने दास प्रथा से समाज को मुक्त करने का एक पवित्र कार्य किया है तो अब साम्यवाद इसके बदले में कब तक समाज को दास बनाकर रखना चाहता है? आप श्रम जीवी वर्ग को गिरी पिछड़ी हालत में रखकर उसे वर्ग संघर्ष के लिए तैयार करना चाहते हैं जबकि मैं चाहता हूँ कि श्रमजीवी बुद्धिजीवी पूंजीपति के बीच की दूरी घटे और वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति अपने आप बेमौत मर जावे। मैं समझता हूँ कि वर्ग संघर्ष कभी एक समाधान रहा होगा किन्तु आज तो अनिवार्य नहीं है।

मार्क्सवादी असफल नहीं है। उन्होंने तो भरपूर त्याग भी किया है और संघर्ष भी। मार्क्सवाद एक असफल और घातक विचार है। वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष को वर्ग संघर्ष तक ले जाना कोई अच्छी बात नहीं। वर्ग समन्वय का मार्ग ही उचित मार्ग है।

आशा है कि आप साम्यवाद की घिसी पिटी लाइन छोड़कर तर्क संगत समीक्षा भेजेंगे।

3 छवील सिंह सिसोदिया, पिलखुआ हापुण उत्तर प्रदेश

विचार — मैंने राष्ट्रपति जी का पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केन्द्र व राज्य सरकारों को जाति धर्म व सम्प्रदाय के नाम पर झगडा करने से रोका जाय। वोटो के धुवीकरण में दो सम्प्रदायों का खूनी संघर्ष व पुलिस व जनता का खूनी संघर्ष उत्तर प्रदेश की तरह से अधिकांश राज्यों में होने लगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले में दूसरे सम्प्रदाय की लडकी की छेडछाड में दो सम्प्रदायों के हुए खूनी संघर्ष की आग पुलिस की उपस्थिति में सात जिलो तक फैली। सैकडो लोगो की जाने चली गई। किसानो के करोडो रूपये के क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर घायल व मृतको सहित नहर में डाल दिये गये। मेरठ के खेडा गांव की महिलाओ को पुलिस से पिटवाया गया। बताया जा रहा है कि लडकी के मृतक भाई सचिन व गौरव के हत्यारो को अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खा ने आज तक गिरफ्तार नहीं होने दिया। निर्दोष सैकडो लोग सरकार की साजिश से मारे गये है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्र को लिख कर भेजा है कि झगडे कराने के लिये राज्य सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। लेकिन केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं करके वोटो के धुवीकरण को बनाने का कार्य किया है।

1 अन्ना आंदोलन में जन लोक पाल बिल पास न करके सभी राजनैतिक दलो की एकता ने भ्रष्टाचार बनाये रखने की नीयत पहले ही साबित कर दिया है।

2 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट कर अपराधियों को संसद में भेजने के स्वीकृत अध्यादेश को पेश करके अपराधियों का वर्चस्व बनाये रखने की नीयत से अवगत कराना साबित किया है।

3 राजनैतिक दलों की एकता में जनप्रतिनिधियों को आर टी आई से बाहर रखने की नीयत से तानाशाही वृत्ति का भी परिचय दिया।

अंग्रेज लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से/ भारतीयों का मर्यादित रीति रिवाज व्यवहार रहन सहन व युवक युवतियों की गौरवान्वित पौशाको को साजिश से बदलवाया जा सकता है। 1935 में बने कानून व 1946-47 की तानाशाही में बने संविधान की भ्रष्ट हुई व्यवस्था से भारतीयों को जीने के लिये बाध्य किया जाना अलोकतान्त्रिक है।

लोकतंत्र युवावस्था की ओर बढ़ रहा है। उपरोक्त अवधि में बना तानाशाही संविधान व कानून निष्प्रभावी व बूढ़ा हो रहा है। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिये संविधान में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिये राष्ट्रहित में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। लोकतंत्र में आम आदमी की तरह सिपाही से लेकर मंत्री तक पर अपराध बलात्कार व भ्रष्टाचार में पुलिस व सी बी आई को सीधे कार्यवाही के लिये अधिकृत किया जाय।

यह देश किसी जाति धर्म या सम्प्रदाय का नहीं है। एक अरब बीस करोड़ लोगों की आबादी का समूह भारतीय संघ है। प्रत्येक गरीब दुर्बल व असहाय विकास की योजनाओं की सहायता का पात्र है व प्रत्येक जाति सम्प्रदाय का व्यक्ति व समूह को सुरक्षा व न्याय देना शासन का दायित्व है। देश के किसान मजदूर के खून पसीने की कमाई के वसूले टैक्स से व अमीरों से वसूले टैक्स के धन से देश का विकास हो रहा है तथा भ्रष्टाचार व घोटाला करके सत्ताधारी जनता के इस धन को लूट रहे हैं।

भ्रष्टाचार लूट व अपराध पर नियंत्रण के लिये व्यवस्था परिवर्तन करना ही एक मात्र विकल्प है। सत्ता परिवर्तन करते रहना केवल भ्रष्टाचार को बनाये रखना है।

समाज लोकतंत्र के नाम पर केन्द्र व राज्य सरकार की संदिग्ध कार्यवाही को नजदीक से समझ व देख रहा है कि शासक की विश्वसनीयता व निष्पक्षता में कभी किसी अकेले सिपाही व किसी कर्मचारी पर समाज ने उंगली तक इसलिये नहीं उठाई कि शासकीय कार्यवाही निष्पक्ष थी। आज पुलिस के समूह के साथ एस पी व डी एम प्रशासन झगडा व नियंत्रण में स्वयं घायल होने व पिटने लगा मंत्रियों पर जूते चप्पल तक फेंके जाने लगे व्यवस्था की खिल्ली उड़ाई जा रही हैं शासकों की अयोग्यता देश का वातावरण विगाडने के लिये जिम्मेदार है।

नैतिकता महसूस करे तो माननीय शासकों के लिये खेद का विषय है चिन्तन का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि केन्द्र व राज्य सरकारों को जाति धर्म व सम्प्रदाय के नाम पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही से रोका जाय ताकि देश की अखंडता बनी रहे। लोकतंत्र अपने पैर से चले। मुजफ्फर के साम्प्रदायिक झगडे में मारे गये लोगों की जिम्मेदारी के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये एवं केन्द्र को भी निर्देशित किया जाय कि अपने दायित्वों के प्रति सचेत रहे। आपकी अति कृपा होगी कि की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

छ उत्तरार्ध

नोट—अगर आप कुछ ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका की राशि जमा करना चाहते हैं तो आप बजरंग लाल अग्रवाल, एस बी आई 11374646729 रामानुजगंज जिला—बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ में आप पैसा जमा करा सकते हैं। आप मनियार्डर भेज सकते हैं अथवा आप बजरंग अग्रवाल अथवा बजरंग मुनि, बनारस चाक, अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगड के लिए चेक के द्वारा भी पैसा जमा करा सकते हैं।